

संक्षेप

वकील वादी अनुपस्थित है, काही गण स्वयं भी अनुपस्थित है। इनकी जगह से कोई अन्य वकील भी उपस्थित नहीं है बार बार आवानों लगावाई गई परन्तु न्यायालय समय तक कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः राजस्व वाद पत्र अदम हाजरी अदम घेरवी में कार्रवाई किया जाता है। पत्रावली संसल शुमार है। नम्वर से कम होकर दफ्तर दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
मिनाथ (केकड़ी)